इन्द्रराम बनाम हेतराम

22-02-2024

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट् की तहसील खाजुवाला के चक 9 बीडी के मुरब्बा नम्बर 154/44 के किला नम्बर 1 ता 10 व 15, 16 कुल 12 बीघा भूमि निहित है व इसी मुरब्बें की शेष भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते में निहित है। अपीलांट् द्वारा अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से यह अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है तो उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए की मंशा के विपरीत की गई व्याख्या है, क्योंकि उक्त धारा के तहत किसी भी काश्तकार द्वारा अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में डीएलसी दर से दुगनी राशि दिये जाने का प्रावधान निहित है, भूमि के बदले भूमि दिये जाने के प्रावधान विधि में निहित नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को उसकी जोत में आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने से पूर्व भूमि की एवज में भूमि दिये जाने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से प्रदान किये गये है। अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2022 पार्ट II पेज 996 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उपरोक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों में इसी सिद्वान्त को प्रतिपादित किया गया है कि संशोधित अधिनियम के नियम 70 के अधीन भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान नहीं है, आदेश अपास्त किया और डीएलसी दर के आधार पर प्रतिकर निर्धारित करने के निर्देश दिये गये। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद है कि किसी भी काश्तकार द्वारा अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर केवल मात्र डीएलसी दर से दुगनी राशि की प्रतिकर के रूप में प्राप्त की जा सकती है, ना कि भूमि के बदले भूमि दिये जाने के प्रावधान है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थी को उसकी जोत में आवागमन हेतु रास्ता डीएलसी दर से दुगनी राशि प्राप्त करते हुए स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ते की मांग पारिवारिक समझौते के अनुसार किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार रास्ते की एवज में भूमि के बदले भूमि दिये जाने की स्थिति में ही रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रार्थी स्वयं के द्वारा रास्ते की मांग पारिवारिक समझौते के अनुसार की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि एक पारिवारिक भूमि होने तथा रास्ते की मांग भी पारिवरिक सदस्य के द्वारा किये जाने पर भूमि के बदले भूमि देने की एवज में रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश विधि सम्मत् तरीके से किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट् की खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी जोत तहसील खाजुवाला के चक 9 बीडी के मुरब्बा नम्बर 154/44 की कुल 12 बीघा भूमि में आवागमन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए के तहत रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट् भूमि के बदले भूमि देने को तैयार होने पर ही उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2022 पार्ट II पेज 996 में अभिलिखित किया गया है कि 2012 के संशोधित अधिनियम के नियम 70 के अधीन भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान नहीं है, डीएलसी दर के आधार पर प्रतिकर निर्धारित करने का निर्देश दिया। उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर यह स्पष्ट है कि रास्ते के मामलों में विधि द्वारा रास्ते की एवज में डीएलसी दर से दुगनी राशि दिये जाने के प्रावधान विधायिका में निहित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायलय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर भूमि के बदले भूमि देने को तैयार होने की स्थिति में ही रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए की मंशा के विपरीत होने से अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं होने से अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामतः अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आक्षेपित आदेश दिनांक 16–03–2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए में निहित प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। आदेश की सूचना उभय पक्षों को दी जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर